छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र०. 260/1992

चमरू पिता प्रेमसाय, उम्र 32 वर्ष निवासी कपाबहरी,

हालमूकाम देवरी, थाना बतौली,

जिला सरगुजा, रायपुर, म०प्र० (अब छ.ग)

-------- अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) द्वारा थाना बतौली,

सिविल एव राजस्व जिला सरगुजा, म०प्र० (अब छ.ग)

------- उत्तरवादी

कोरमः न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव व

न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

अपीलार्थी के लिए – श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता|

राज्य क लिए – श्री एम.पी.एस भाटिया, पेनल अधिवक्ता|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 23.08.2005 को पारित

दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायधीश, द्वारा

1. वर्तमान अपील सत्र विचारण संख्या 139/1989 में दिनांक 16–12–1991 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलार्थी चमरू को कमुना की हत्या करने और तलाशी (अभी०सा०–10) को स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर, कारावास से दण्डित किया गया है।
2. यह निर्विवादित है कि ढंगरा (अभी०सा०–8) मृतक कमुना का पिता है, धनाराम (अभी०सा०–1) और तलाशी (अभी०सा०–10) भाई हैं, सुखमनिया (अभी०सा०–2) माँ है और नरबदिया (अभी०सा०–9) बहन है।
3. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है की दिनांक 10.11.1988 को शाम लगभग 4 बजे, धनाराम (अभी०सा०–1) अपने परिवार के सदस्यों के साथ दीपावली का त्योहार मना रहा था।

अपीलार्थी चमरू भी सड़क के उस पार पास में ही रहता था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उत्सव के मूड में था। इसी समय, दोषमुक्त अभियुक्त कौशल्या और धनाराम की बहन के बीच कुछ कहासुनी हुई। जल्द ही दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अपीलार्थी चमरू, अपने 5 अन्य सह–अभियुक्तों, प्रेम साई, सुंदर, कौशल्या, फूलेश्वरी और धनपाल के साथ, लाठियों के साथ धनाराम के घर आया और लड़ाई शुरू हो गई। जैसा की अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी के पास लाठी के अलावा एक गुप्ती भी थी। कमुना के सिर पर अभियुक्त धनपाल ने लाठी से वार किया। धनाराम (अभी०सा०–1) को भी चोटें आईं। इसी समय, अपीलार्थी चमरू ने कमुना को गुप्ती से मारा, जो उसके सीने के बाईं ओर छेद कर गई। कमुना की चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी ने तालाशी (अभी०सा०–10) को भी लाठी से मारा। डॉ. आर.एस. राजपूत (अभी०सा०–11) द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में पता चला कि कमुना को छिद्रित कटा हुआ घाव सीने के बाईं ओर, बाईं कांख के नीचे, 5 वीं और 6 वीं इंटरकोस्टल स्पेस के बीच एक छिद्रित कटा घाव और दाहिनी पार्श्विका हड्डी पर 4 सेमी x 4 सेमी का नीलांगुर खरोंच था। विच्छेदन पर, यह पाया गया कि घोपे हुए घाव ने हृदय को बाएं वेंट्रिकल से दाहिने वेंट्रिकल तक छेद दिया था। सीने के अंदर रक्त जमा हो गया था। उनके अनुसार, हृदय में नीलांगुर घाव से सदमे के कारण बेहोशी से मृत्यु हुई थी और यह प्रकृति में हत्यात्मक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी चमरू को भी 11.11.1988 को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. राजपूत ने प्रदर्श डी–4 में पाया कि उसकी खोपड़ी पर बाईं पार्श्विका हड्डी पर 5 सेमी x 1/2 सेमी x 1/4 सेमी का एक कटा हुआ घाव था, जिसमें जमा हुआ रक्त और घाव के आसपास सूजन मौजूद थी। बाईं बांह पर 3 सेमी x 1 1/2 सेमी x 1 सेमी का एक कटा हुआ घाव भी था, जो बाईं कोहनी के जोड़ से 10 सेमी नीचे था, जिसमें रक्तस्राव और चटकने की आवाज आ रही थी। डॉ. राजपूत (अभी०सा०–11) ने 10.11.1988 को तलाशी की जांच की और उसके ललाट की हड्डी के पार्श्व भाग पर 3 सेमी x 1/2 सेमी x 1/4 सेमी का एक कटा हुआ घाव पाया, जिसमें घाव के आसपास सूजन और रक्तस्राव मौजूद था। एक और 2 सेमी x 3/4 सेमी का कटा हुआ घाव ललाट की हड्डी के दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की ओर था। ललाट की हड्डी पर 6 सेमी x 3 सेमी का एक नीलांगुर भी था और पीठ पर और दाहिने कंधे के स्केपुला के नीचे तिरछा 8 सेमी x 4 सेमी का एक और नीलांगुर खरोंच भी पाया गया। उनकी राय में, ये चोटें कठोर या कुंद वस्तु से लगी थीं।

5. अपीलार्थी चमरू पर, 5 अन्य सह–अभियुक्तों – प्रेम साई, सुंदर, कौशल्या, फूलेश्वरी और धनपाल – के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 के तहत दंडनीय अपराधों और धारा 302 के साथ पठित, या वैकल्पिक रूप से धारा 302 और धारा 323 के तहत अभियोजित किया।

6. विचारण क्र दौरान अपीलार्थी/अभियुक्तगर्ण ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया तथा विचारण चाह। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों का परिक्षण किया गया। विद्वान विचारण न्यायलय ने विचारण उपरांत धनाराम (अभी०सा० –1), ढंगरा (अभी०सा०–8), सुखमनिया (अभी०सा०–2), नरबदिया (अभी०सा०–9) और तलाशी (अभी०सा०–10) की गवाहों के परिसाछय पर भरोसा किया, जिसकी पुष्टि डॉ. राजपूत (अभी०सा०–11) के चिकित्सकीय साक्ष्य से हुई थी, और अपीलार्थी चमरू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत दोषी ठहराया और उपर्युक्त दंडित किया। सह–अभियुक्त प्रेम साई को तलाशी को स्वेच्छया से उपहति कारीत करने के लिए के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत और धनपाल को मृतक कमुना को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषसीद्ध ठहराया गया। शेष सह–अभियुक्त सुंदर, कौशल्या और फूलेश्वरी को दोषमुक्त कर दिया गया। वर्तमान अपील केवल अपीलार्थी चमरू की ओर से है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता किरण जैन, ने व्यक्त कीया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अपीलार्थी चमरू को लगी चोटें दर्शाती हैं कि अपीलार्थी चमरू हमलावर नहीं था और उसने आत्मरक्षा में कार्य किया था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी चमरू ने कमुना के सीने पर गुप्ती से केवल एक ही चोट पहुंचाई थी और उसके बाद कोई अन्य चोट नहीं पहुंचाई गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला कि बिना किसी पूर्व–विचार के अचानक लड़ाई हुई थी और सिर पर हमला किए जाने पर, अपीलार्थी ने न केवल गंभीर और अचानक प्रकोपन के तहत कार्य किया, बल्कि अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए भी कार्य किया। अपीलार्थी द्वारा एक ही चोट पहुंचाने के तरीके और आचरण से, यह अनुमान लगाना उचित होगा कि उसे यह ज्ञान था कि उक्त कृत्य से मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी चमरू की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II में बदल दिया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी पहले ही 13 साल से अधिक समय तक कारावास भुगत चुका है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा पहले ही भुगती गई कारावास का दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री ऍम.पि.एस

भाटिया, ने तर्क दिया कि चाकू से लगी चोट की प्रकृति, यानी कमुना के सीने के बाईं ओर लगी छिद्रित चोट जिसने बाएं वेंट्रिकल के साथ–साथ दाहिने वेंट्रिकल को भी छेद दिया था, कमला की मृत्यु का कारण बनने के लिए अपीलार्थी के आवश्यक आशय को बताने के लिए पर्याप्त है ताकि अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय बनाया जा सके।

8. हमने परस्पर विरोधी दावे पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया और धनाराम (अभी०सा०–1), सुखमनिया (अभी०सा–2), ढंगरा (अभी०सा–8), नारबदिया (अभी०सा–9) और तलाशी (अभी०सा–10) की गवाही का भी बारीकी से अध्ययन किया है। इन गवाहों की गवाही कि कमुना को चमरू के हाथों गुप्ती से घातक घाव मिला था, सुसंगत, सुदृढ़ और विश्वसनीय है। इसकी पुष्टि डॉ. राजपूत (अभी०सा–11) के चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपर्युक्त साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा किया है कि अपीलार्थी चमरू ने गुप्ती से वार करके कमुना की मृत्यु कारित की थी। इन साक्षियों का अभिसाक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे हितबद्ध गवाह हैं, क्योंकि वे एक–दूसरे से निकट संबंधी हैं। घटना स्थल पर इन गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक है क्योंकि यह घटना उनके घर के सामने हुई थी और उन्हें भी घटना के दौरान चोटें आई थीं। उनकी गवाही कि यह अपीलार्थी चमरू था जिसने कमुना के सीने पर गुप्ती से चाकू मारा था, प्रति–परिक्षण की कसौटी पर खरी उतरी है और पूरी तरह से खंडित नहीं हुई है। इन गवाहों का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह भी दर्शाता है कि घटना ढंगरा (अभी०सा०–8) के घर पर हुई थी। मौका नक्शा प्रदर्श पी–7, जो पटवारी आर.पी. गिरि द्वारा तैयार किया गया था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी चमरू का घर ढंगरा (अभि०सा०–8) के घर से लगभग 50 मीटर दूर और सड़क के उस पार स्थित है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि लड़ाई अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों द्वारा शुरू की गई थी और वे हमलावर थे। मृतक, धनाराम (अभि०सा०–1), नारबदिया (अभि०सा०–9), तलाशी (अभि०सा०–10) और ढंगरा (अभि०सा०–8) को लगी चोटों की प्रकृति डॉ. राजपूत (अभि०सा०–11) द्वारा सिद्ध की गई है, जो इस तथ्य का भी सुझाव देती है कि अपीलार्थी चमरू हमलावर था। धनाराम (अभि०सा० 1), सुखमनिया (अभि०सा०–2), तलाशी (अभि०सा०–10) और ढंगरा (अभि०सा०–8) की गवाही से यह भी पता चलता है कि जब धनपाल ने कमुना को लाठी से मारा, तो वह गिर गया और उसके बाद अपीलार्थी चमरू ने गुप्ती से कमुना के सीने में चाकू मारा। यह तथ्य कि अपीलार्थी चमरू अपने परिवार के सदस्यों के साथ ढंगरा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(अभि०सा०–8) के घर गया था और यह तथ्य भी कि अपीलार्थी को भी चोटें आईं, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी को लगभग उसी समय चोट लगी थी। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायलय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदार हमलावर थे और अपीलार्थी चमरू ने गुप्ती से वार करके कमुना की मृत्यु कारित की थी, सुस्थापित है|

9. हमारे विचार के लिए केवल एक ही प्रश्न शेष है कि क्या अपीलार्थी चमरू द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II से आगे नहीं जाता है। **महेश बाल्मीकि उर्फ मन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, {(2000) एस.सी.सी. क्रिमिनल 178}** के मामले में, अपीलार्थी ने मृतक को एक निर्दिष्ट स्थान पर आने के लिए कहा था। वहां पहुंचने पर, अपीलार्थी और मृतक के बीच गरमागरम बहस हुई। उसके बाद, अपीलार्थी के तीन सहयोगियों ने मृतक को पकड़ लिया और अपीलार्थी ने छाती पर स्टर्नम के बाईं ओर, 6 वीं और 7 वीं पसलियों के कोस्टल जोड़ के बीच चाकू से एक ही वार किया, जिससे दोनों पसलियां टूट गईं। घाव का निशान स्टर्नम, पेरीकार्डियम से होते हुए पसलियों से गुजरने के बाद यकृत में प्रवेश कर गया और पेट के एक हिस्से को छेद दिया। घाव की कुल गहराई 19 सेमी थी और घाव की दिशा नीचे की ओर पीछे की तरफ जा रही थी। मृतक चोटों के कारण दम तोड़ गया। यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–4 की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थीं और तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि अपराध धारा 300 के चौथे खंड के अंतर्गत आता है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि उचित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि एक ही वार के सभी मामलों में धारा 302 भा.द.वि लागू नहीं होती। एकल वार के कुछ मामलों में धारा 302 भा.द.वि के तहत, कुछ मामलों में धारा 304 भा.द.वि के तहत और कुछ अन्य मामलों में धारा 326 भा.द.वि के तहत दोषसिद्धि हो सकती है। अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। चोट की प्रकृति, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण या गैर–महत्वपूर्ण हिस्से पर हो, इस्तेमाल किया गया हथियार, जिन परिस्थितियों में चोट लगी है और जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है, ये सभी सुसंगत तथ्य हैं जो अपराधी के आवश्यक आशय या ज्ञान और उसके द्वारा किए गए अपराध को निर्धारित करने में सहायक हो सकते हैं। वर्तमान मामले में गुप्ती से किए गए एकल वार का प्रभाव विनाशकारी रहा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया|

11. कमुना के सिने पर गुप्ती से हमला करने के तरीके को देखते हुए, हमारे सुविचारित मत में, कमुना की मृत्यु का कारण बनने का आवश्यक आशय अपीलार्थी चमरू पर लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमुना को लाठी से वार लगने के बाद, वह जमीन पर गिर गया था और उसके बाद अपीलार्थी ने गुप्ती से इतनी तेज़ी से कमुना की सीने पर वार किया कि वह तत्काल बाएं वेंट्रिकल के साथ–साथ दाहिने वेंट्रिकल को भी छेद गया, जिससे कमुना की तुरंत मौत हो गई| इस प्रकार यह संदेह से परे स्थापित है कि अपीलार्थी और अन्य सह–अभियुक्त हमलावर थे और वे ढंगरा के घर गए और लड़ाई शुरू कर दी, जिसमें ढंगरा (अभी०सा०–8), नारबदिया (अभी०सा–9), धनाराम (अभी०सा–1) और तलाशी (अभी०सा–10) को चोटें आईं। इस लड़ाई के दौरान जब कमुना जमीन पर गिर गया था, तो अपीलार्थी चमरू ने गुप्ती से कमुना की सीने पर इतनी तेज़ी से चाकू मारा कि उसने दाहिने वेंट्रिकल से बाएं वेंट्रिकल तक हृदय को छेद दिया। जिस तरीके से अपीलार्थी ने कमुना पर गुप्ती से छाती में हमला किया, वह हमारे सुविचारित मत में, कमुना की मृत्यु का कारण बनने के लिए अपीलार्थी के आवश्यक आशय को बताने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आशय कमुना की मृत्यु कारित करना था और उसी के अनुसरण में उसने कमुना की सीने पर घातक वार किया, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो गई। जिस तरीके से अपीलार्थी ने कार्य किया, वह स्पष्ट रूप से उसके कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–1 और अपवाद–2 के दायरे से बाहर कर देता है। सिर पर लाठी लगने के बाद, कमुना जमीन पर गिर गया था और अपीलार्थी चमरू के व्यक्ति या जीवन को बिल्कुल भी कोई भय नहीं था। इसलिए, इस मोड़ पर अपीलार्थी को आत्मरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, हम इस सुविचारित राय के हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी चमरू की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई सजा सुस्थापित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और तलाशी (अभी०सा०–10) को स्वेच्छया से उपहति कारित करीत करने के लिए उसके तहत दी गई सजा का संबंध है, यह सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है और इसे बरकरार रखा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अंततः, पूर्वगामी विवेचनाओ को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरगुजा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 139/89 में पारित निर्णय दिनांक 16/12/1991 में किसी भी हस्तक्षेप की अव्यशाकता नहीं है| इस अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चमरू द्वारा प्रस्तुत किए गए बंध पत्र और व्यक्तिगत बंधपत्र तत्काल रद्द किए जाते हैं। उसे अपनी सजा भुगतने के

लिए 08–09–2005 को अंबिकापुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरगुजा के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

सही/–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायधीश
23.08.2005

सही\–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायधीश
23.08.2005

---00---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By RAKSHITA MISHRA.